न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र संख्या 76 / 2024 GCMS NO. 2024/263 **उनवानी रूड़ा बनाम राजस्थान सरकार** **अन्तर्गत धारा 128 / 111 एल.आर.एक्ट 1956**	
18.06.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। सरकार पक्ष की ओर से राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार खेतडी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। राजकीय पैरोकार ने जाहिर किया कि राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2024 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश किये जाने उचित है। प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि प्रार्थी की वाके ग्राम सिहोड पटवार हल्का सिहोड भू अभिलेख निरीक्षक वृत त्यौन्दा तहसील खेतडी जिला झुझुनूं (हाल जिला नीमकाथाना) राज0 स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला संवत 2073 से 2076 के हाल खाता संख्या नया 238 के खसरा नम्बर 1738 / 1043 रकबा 0.08 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि की सर्वे रिपोर्ट से नपती करवाकर खसरा नम्बर 1738 / 1043 रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि की पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर लगवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम सिहोड पटवार हल्का सिहोड तहसील खेतडी खाता संख्या 238 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1738 / 1043 रकबा 0.08 हेक्टेयर प्रार्थी की एकांकी खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2024 द्वारा पटवारी हल्का सिहोड़ के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुसार ही पत्थरगढी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा **आदेश** अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **सिहोड़** पटवार हल्का सिहोड स्थित भूमि खसरा नम्बर 1738 / 1043 रकबा 0.08 हेक्टेयर की पश्चिमी सीमा की पटवारी हल्का सिहोड की सीमाकन रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 के अनुसार 1000 / -रूपये की फीस पर पत्थरगढी से प्रभावित पक्षकारों / काश्तकारों की मौके पर उपस्थिति मे भूमि खसरा नम्बर 1738 / 1043 रकबा 0.08 हेक्टेयर की पश्चिमी सीमा का पुनः सीमाकन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **18.06.2024** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 18/6/24 **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)